स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सत्यमेव जयते

Ministry of Housing & Urban Affairs Government of India

प्रधान मंत्री आवास योजना–शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

Narendra Modi
Prime Minister

CREDIT LINKED SUBSIDY SCHEME FOR MIDDLE INCOME GROUP (CLSS FOR MIG)

KEY HIGHLIGHTS OF THE SCHEME

Coverage
All the Statutory towns as per Census 2011 and towns notified subsequently including Notified Planning/ Development Areas and the areas falling within notified Planning/Development area under the jurisdiction of an Industrial Development Authority/Special Area Development Authority/Urban Development Authority or any such Authority under State legislation.

Purpose
Interest subsidy on housing loan for acquisition/ construction of houses (including re-purchase)

Beneficiary
A beneficiary family will comprise husband, wife, unmarried sons and/or unmarried daughters. An adult earning member (irrespective of marital status) can be treated as a separate household.

Eligibility

- The beneficiary family should not own a pucca house (an all weather dwelling unit) either in his/her name or in the name of any member of his/her family in any part of India.
- In case of married couple, either of the spouses or both together in joint ownership will be eligible for a single house, subject to income eligibility of the household under the Scheme.
- A beneficiary family should not have availed of central assistance under any housing scheme from Government of India

Carpet Area
Scheme will support acquisition/construction of houses (including re-purchase) upto 160 sq. mts. (for MIG-I) and upto 200 sq. mts for (MIG-II) carpet area as per income eligibility with basic civic infrastructure like water, toilet, sanitation, sewerage, road, electricity, etc.

Scheme Details
Beneficiaries will be eligible for an interest subsidy with following features:

Particulars	MIG I	MIG II
Household Income (₹ p.a.)	6,00,001-12,00,000	12,00,001-18,00,000
Eligible housing loan amount for interest subsidy (₹)	9,00,000	12,00,000
Interest Subsidy (% p.a.)	4%	3%
Dwelling Unit Carpet Area	Upto 160 sq. mts.	Upto 200 sq. mts.

*Benefits under these loans are available for a maximum loan tenure of 20 years.

Implementation

- Additional Loan beyond the specified limit, if any, will be at non-subsidized rate.
- Interest subsidy will be credited upfront to the loan account of beneficiaries through Primary Lending Institutions (PLIs) resulting in reduced effective housing loan and Equated Monthly Installments (EMI).
- PLIs are identified as Scheduled Commercial Banks, Housing Finance Companies, Regional Rural Banks, State Cooperative Banks, Urban Cooperative Banks, Small Finance Banks, Non Banking Financial Company-Micro Finance Institutions (NBFCs-MFIs) or any other institution as may be identified by the MoHUA.
- PLIs shall link the details of Aadhaar number(s) of beneficiary family to avoid duplication.

CENTRAL NODAL AGENCIES

National Housing Bank
(wholly owned by Reserve Bank of India)
Core 5-A, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi 110 003,
Tollfree Helpline: 1800-11-3377/88
E-mail: clssim@nhb.org.in

Housing and Urban Development Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)
Core 7-A, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi - 110 003,
Tollfree Helpline: 1800-11-6163
E-Mail: hudconiwas@hudco.org

State Bank of India
Real Estate & Housing Business Unit
PMAY-CNA Cell
9th Floor, Air India Building, Nariman Point, Mumbai - 400021
Tollfree Helpline: 1800-11-2018
E-Mail: clss.pmayurban@sbi.co.in

Sab ka Sapna... Ghar ho Apna

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सत्यमेव जयते

आवासन और शहरी
कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

प्रधान मंत्री
आवास योजना–शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

ujUn: eknh
प्रधानमंत्री

मध्यम आय समूह के लिए ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम (एमआईजी के लिए सीएलएसएस)

स्कीम की मुख्य बातें

कवरेज

जनगणना 2011 के अनुसार सभी सांविधिक कस्बे और तदुपरांत अधिसूचित कस्बों सहित अधिसूचित नियोजन/विकास क्षेत्र तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण अथवा राज्य विधायिका के अधीन किसी ऐसे प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अधिसूचित नियोजन/विकास क्षेत्र के भीतर आ रहे क्षेत्र।

प्रयोजन

आवासों के अधिग्रहण/निर्माण के लिए आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी (पुनः क्रय सहित)

लाभार्थी

एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और/अथवा अविवाहित पुत्रियां शामिल होंगे। कमाने वाले किसी वयस्क सदस्य (वैवाहिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना) को पृथक परिवार के रूप में माना जा सकता है ।

पात्रता

- लाभार्थी परिवार के पास भारत के किसी भाग में उसके अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई पक्का मकान (सभी मौसम वाली रिहायशी इकाई) नहीं होना चाहिए।
- विवाहित दम्पत्ति के मामले में, पत्नी अथवा दोनों संयुक्त स्वामित्व वाले एकल घर के लिए इस स्कीम के अंतर्गत परिवार की आय पात्रता की शर्त पर पात्र होंगे।
- लाभार्थी परिवार ने भारत सरकार की किसी आवास स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता न ली हो।

कारपेट क्षेत्र

इस स्कीम में बुनियादी नागरिक अवसंरचना जैसे जल, शौचालय, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क, बिजली इत्यादि सहित आय पात्रता के अनुसार 160 वर्ग मीटर तक (एमआईजी–। के लिए) और 200 वर्ग मीटर तक (एमआईजी–।। के लिए) कारपेट क्षेत्र के आवास के अधिग्रहण/निर्माण में सहायता दी जायेगी।

स्कीम का ब्यौरा

लाभार्थी निम्नलिखित विषेशताओं के साथ ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होगा:

विवरण	एमआईजी–।	एमआईजी–।।
पारिवारिक आय (रू0 प्रति वर्ष)	6,00,001–12,00,000	12,00,001–18,00,000
ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र आवास ऋण धनराशि (रू0)	9,00,000	12,00,000
ब्याज सब्सिडी (% प्रति वर्ष)	4%	3%
रिहायशी इकाई कारपेट क्षेत्र	160 वर्ग मीटर तक	200 वर्ग मीटर तक

*इन ऋणों के अंतर्गत लाभ 20 वर्ष की अधिकतम ऋण अवधि के लिए उपलब्ध है।

कार्यान्वयन

- विनिर्दिश्ट सीमा से इतर अतिरिक्त ऋण, यदि कोई है, गैर–सब्सिडाइज्ड दर पर होगा।
- ब्याज सब्सिडी प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (पीएलआई) के माध्यम से लाभार्थियों के ऋण खातों में सीधे जमा करा दी जायेगी इससे प्रभावी आवास ऋण और समान मासिक किस्तें (ईएमआई) कम हो जायेंगी।
- प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं का चयन अनुसूचित वाणिज्यक बैंक, आवास वित्त कंपनियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक, लघु वित्तीय बैंक, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां–लघु वित संस्था (एनबीएफसी–एफएफआई) अथवा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चयनित किसी अन्य संस्था के रूप में किया जाता है।
- दोहरेकरण से बचने के लिए पीएलआई लाभार्थी परिवार को आधार संख्या के ब्यौरे से सम्बद्ध करेंगे।

केन्द्रीय नोडल एजेंसियां

राष्ट्रीय आवास बैंक
(भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्ण स्वामित्व)
कोर–5–1, इंडिया हैबिटाट सेंटर,
लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
टोल फ्री हेल्पलाइन सं: 1800–11–3377/88
E-mail: clssim@nhb.org.in

आवास और नगर विकास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
कोर–7 ए, इंडिया हैबिटाट सेंटर,
लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
टोल फ्री हेल्पलाइन सं: 1800–11–6163
E-Mail: hudconiwas@hudco.org

भारतीय स्टेट बैंक
रियल एस्टेट और हाउसिंग बिजनेस यूनिट
पीएमएवाई–सीएनए सेल
9 वीं मंजिल, एयर इंडिया बिल्डिंग,
नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021
टोल फ्री हेल्पलाइन सं: 1800–11–2018
E-Mail: clss.pmayurban@sbi.co.in

सबका सपना..... घर हो अपना